<u>वाणिज्यिक न्यायालय, अयोध्या।</u>

<u>निष्पादन सी0सी0 वाद सं0–44/2024</u>
कम्प्यूटर रजिस्ट्रेशन नं0–44/2024

सी0एन0आर0नं0–UPFZ070000832024

श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइ0 कं0 लि0.....बनाम.....शेखर चौधरी आदि।

<u>दिनांक 06.06.2026</u>

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। डिक्रीदार के विद्वान अधिवक्ता श्री सीताराम चतुर्वेदी उपस्थित।

डिक्रीदार के विद्वान अधिवक्ता की ओर से प्रार्थना–पत्र सं0–11ई. इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी कंपनी व निर्णीतऋणी के मध्य न्यायालय के बाहर संधि हो गयी है। निर्णीतऋणी ने संधि के अनुरूप तय शुछा धनराशि जमा कर कंपनी में अपना ऋण खाता बंद करा कर नो–ड्यूज प्राप्त कर लिया है। ऐसी स्थिति में वाद उपरोक्त को चलाए जाने का औचित्य समाप्त हो गया है। उपरोक्त आधार पर कृपापूर्वक विचार करते हुए वाद उपरोक्त को निस्तारित किये जाने की याचना की गयी है। प्रार्थनापत्र के साथ नो–ड्यूज की छायाप्रति संलग्न किया है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थी कंपनी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में प्रार्थनापत्र में उल्लिखित तथ्यों का ही कथन किया गया है।

प्रार्थनापत्र 11ई. के अनुसार डिक्रीधारक एवं निर्णीतऋणी के मध्य सुलह हो गयी है और उभयपक्ष के मध्य एवार्ड के संबंध में कोई बकाया अवशेष नहीं है। अवार्ड होल्डर/डिक्रीदार के अनुसार निर्णीत ऋणी ने उसकी समस्त धनराशि न्यायालय से बाहर अदा कर दी है। ऐसीस्थिति में अवार्ड होल्डर/डिक्रीदार द्वारा अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र योजित करने में कोई विधिक अड़चन नहीं रह जाती है। उपरोक्त परिस्थति में निष्पादन सी0सी0 वाद सं0–44/24, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस लिमिटेड बनाम शेखर चौधरी आदि पूर्ण संतुष्टि के आधार पर निस्तारित किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

निष्पादन सी0सी0 वाद सं0–44/24, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस वलिमिटेड बनाम शेखर चौधरी आदि पूर्ण संतुष्टि के आधार पर निस्तारित किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(वेद प्रकाश वर्मा)
पीठासीन अधिकारी
वाणिज्यिक न्यायालय
अयोध्या।